न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :— उम्मेद सिंह रत्नू आर.ए.एस.

अनवान :— प्रार्थना पत्र संख्या 162/2019

मेला सिंह उर्फ गुरमेल सिंह पुत्र श्री उत्तम सिंह जाति रामगढ़िया (तरखान) उम्र 76 वर्ष, निवासी चक 5 पी बड़ी, कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

— — वादी

—:: बनाम ::—

राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर

— — प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

—:: उपस्थिति ::—

1. श्री ऋषिपाल जोशी — — वादी
2. पैरोकार राज — — प्रतिवादी

— :: निर्णय ::— दिनांक :—08.01.2021

वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी व वादी के परिवार का मुख्य पेशा कृषि है तथा कृषि से ही परिवार का पालन पोषण होता है। चक 4 एफ बड़ा पटवार हल्का कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2067—2070 के संयुक्त खाता संख्या 19/17 के मुरब्बा नम्बर 54 के किला नम्बर 13 ता 20 की 2.024 हैक्टयर नहरी कृषि भूमि में से 1.518 हैक्टयर कृषि भूमि वादी के नाम (गुरमेल सिंह पुत्र प्रशन्न कौर) के नाम से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपी संलग्न वाद पत्र है। चूंकि उक्त वाद पत्र की मद संख्या 2 में वादी के नाम दर्ज कृषि भूमि वादी को . विरास्त में प्राप्त हुई । उक्त विरास्त इन्तकाल के समय कृषि भूमि के रिकार्ड में वादी का घरेलू नाम "गुरमेल सिंह पुत्र प्रशन्न कौर" अंकित कर दिया, जबकि वादी के आधार कार्ड, मतदाता कार्ड, राश्न कार्ड, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजात में तथा वादी के पुत्रो बलवन्तसिंह, कुलवन्त सिंह, भगवन्त सिंह की वल्दियत में वादी का नाम "मेला सिंह" अंकित है वादी का कृषि भूमि रिकार्ड में घरू नाम दर्ज होने के कारण, वादी के नाम से जारी मतदाता पहचान, राश्न कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता आदि से मिलान नहीं होता है जिसके कारण वादी को कृषि ऋण सुविधा, सहकारी ऋण सुविधा लेने में भारी अड़चने पैदा होती है इसके अलावा काश्तकारो को समय समय पर मिलने वाली खाद, बीज, मुआवजा आदि की सुविधाओ से भी वादी वंचित हो रहा है जबकि कृषि भूमि के रिकार्ड में अंकित "गुरमेल सिंह पुत्र प्रशन्न कौर" एवं "मेला सिंह पुत्र उतम सिंह" वादी का ही नाम है तथा एक ही व्यक्ति है। वादी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र व जाति प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न वाद पत्र है। वादी ने दिनांक 09/10/2019 को प्रतिवादी के समक्ष अपनी समस्त वस्तुस्थिती से अवगत करवाते हुए राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दरूस्त करवाने हेतू निवेदन किया लेकिन प्रतिवादी ने श्रीमान जी न्यायालय में दावा प्रस्तुत कर नाम दरूस्त करवाने हेतू हिदायत दी,

उपखण्ड अधिकारी
Scanned with CamScanner

बस यही वाद कारण है इसलिए वादी को उक्त दावा हाजा प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। वादी नेकनीयत है वादी क्लीन हैण्ड से उक्त दावा पेश कर रहा है। प्रतिवादी लैण्ड होल्डर है एवं राजस्व रिकार्ड का संधारण करता है इसलिए पक्षकार बनाया गया है चूंकि उक्त खाता के सहकाश्तकार महेन्द्रसिंह व प्रतापसिंह के नाम 0.506 है. कृषि भूमि दर्ज है जिन्होने अपना रकबा वादी को विक्रय किया हुआ है इसलिए पक्षकार नहीं बनाया गया है। दावा घोषणात्मक है जो 2/—रूपये के उचित न्याय शुल्क पर पेश है। वादी के नाम दर्ज कृषि भूमि चक 4 एफ बड़ा तह. श्रीगंगानगर की है उक्त कृषि भूमि की सीमा श्रीमान जी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है इसलिए वाद पत्र श्रीमान जी न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है।

लिहाजा वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे :

(क) :— चक 4 एफ बड़ा पटवार हल्का कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत 2067—2070 के संयुक्त खाता संख्या 19/17 के मुरब्बा नम्बर 54 की 2.024 हैक्टयर नहरी कृषि भूमि में से 1.518 हैक्टयर कृषि भूमि वादी के नाम (गुरमेल सिंह पुत्र प्रशन्न कौर) के नाम से जमाबन्दी मुताबिक वादी के नाम "गुरमेल सिंह पुत्र प्रशन्न कौर" के अंकन को दुरस्त किया जाकर "मेलासिंह पुत्र प्रशन्न कौर" अंकित करने के आदेश दिये जावे।

(ख) :— अन्य कोई अनुतोष जो वादी के हित में हो प्रदान किये जावे ।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर पैरोकार राज तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर से जांच रिपोर्ट ली गई। पैरोकार राज तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा रिपोर्ट पेश की गई, प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार मुताबिक जमाबंदी सम्बत 2067—70 चक 4 एफ बड़ा मु0न0 54/2.024 हैक. मुश्तर्का खाते में गुरमेल सिंह पुत्र प्रशन्न कौर जाति रामगढिया रहन बदस्तूर दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि विरासत ईन्तकाल 182/1997 से गुरमेल सिंह पुत्र प्रशन्न कौर के नाम दर्ज हुई। प्रार्थी गुरमेल सिंह पुत्र प्रशन्न कौर के स्थान पर अपना नाम मेला सिंह पुत्र प्रशन्न कौर दर्ज कराना चाहता है। श्रीमान जी के आदेशानुसार मौके पर मोतरानिों से पूछताछ मुताबिक व संलग्न प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत कोनी दिनांक 04.11.2019 मुताबिक गुरमेल सिंह पुत्र प्रशन्न कौर को मेला सिंह नाम से जाना जाता है। पूछताछ में बताया गया कि उक्त दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है। धारा 136 में नाम शुद्ध किया जाना उचित है।

—:: आदेश ::—

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबंदी सम्वत् 2067—2070 ग्राम का नाम 4 एफ बडा, खाता संख्या 19/17,पेन कार्ड मेला सिंह, आधार कार्ड मेला सिंह, परिवार राशन कार्ड मेला सिंह, निर्वाचन पहचान पत्र मेलासिंह, मूल निवास प्रमाण पत्र मेलासिंह, अन्य पिछडी जाति प्रमाण पत्र मेलासिंह की प्रति पेश की। कार्यालय ग्राम पंचायत कोनी पं. समिति श्रीगंगानगर द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 04.11.2019 एवं शपथ पत्र मेलासिंह पेश किया गया। तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अभिलेखीय साक्ष्यों एवम् तहसीलदार श्रीगंगानगर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने पर वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 4 एफ बड़ा पटवार हल्का कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत 2067—2070 के संयुक्त खाता संख्या 19/17 के मुरब्बा नम्बर 54 की 2.024 हैक्टयर नहरी कृषि भूमि में से 1.518 हैक्टयर कृषि भूमि में गुरमेल सिंह पुत्र प्रशन्न कौर के

Scanned with CamScanner

अंकन को दुरस्त कर उसके स्थान पर मेलासिंह उर्फ गुरमेलसिंह पुत्र प्रशन्न कौर अंकित करने के आदेश दिये जाते हैं।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 08.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर अधिवक्ता प्रार्थी को बुलाकर सुनाया गया।

(उम्मेदसिंह रत्नू)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner